मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर–1 गोमतनीनगर विस्तार फेज–2 लखनऊ
(फैक्स नम्बर–0522–2724030)

पत्र संख्याः लाजि0–एम0टी0–21 / 2025 दिनांकः सितम्बर 25, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या दस–डीजी–चार–125(14) / 2018 / 355 दिनांक 10–09–2025 के साथ प्राप्त अपर सचिव–प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी–चार–12(40) / 2025 दिनांक 01–09–2025 द्वारा निम्नलिखित आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष–2025 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदनोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

सूची कमांक	वरिष्ठता कमांक	पीएनओ सं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	30	960730027	प्रवीन कुमार	सरमन सिंह	कमिश्नरेट आगरा	2025
2	31	970460125	प्रवीण कुमार	श्री महेन्द्र सिह	सहारनपुर	2025
3	32	922630037	मनोज कुमार	राम विलास वर्मा	बरेली	2025
4	34	980751666	जगजीवन राम	श्री नाथूराम	कमिश्नरेट कानपुरनगर	2025
5	39	980750201	शिव कुमार यादव	मिलाप सिंह	कमिश्नरेट आगरा	2025
6	40	980740763	ओम प्रकाश यादव	श्री गुलाब यादव	बलरामपुर	2025
7	42	960720026	जय प्रकाश राम	श्री लाल चन्द्र प्रसाद	कुशीनगर	2025
8	45	040750314	प्रभाकर यादव	रामनरेश यादव	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
9	46	980760882	जगतवीर सिंह	श्री शौध्यान सिंह	बदायूँ	2025
10	48	030580190	निर्भय सिंह	छेदा लाल	झाँसी	2025
11	49	030450211	सूबेदार यादव	प्रेम सागर यादव	रायबरेली	2025
12	50	050770250	अजय कुमार	बाबू राम	कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर	2025
13	51	030501368	संजीव कुमार	रामकेवल यादव	बस्ती	2025
14	52	040540489	भूपेन्द्र सिंह	सूरजभान सिंह	रामपुर	2025
15	53	960481202	धनीराम	चेतराम	बरेली	2025
16	54	980541786	राजेश कुमार	हरिराम	शाहजहाँपुर	2025

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ सं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
17	57	980440634	नरेन्द्र प्रधान	श्री महाराजा प्रधान	मीरजापुर	2025
18	58	982285150	लोकेश कुमार	सरनाम सिंह	फिरोजाबाद	2025
19	59	980630945	दयानिधि अग्निहोत्री	लज्जाराम अग्निहोत्री	फतेहगढ़	2025
20	60	980560466	नन्द कुमार राय	श्री कैलाश राय	अम्बेडकरनगर	2025
21	62	040460169	अनुराग कुमार	वसुपाल सिंह	कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर	2025
22	63	980541425	विनोद कुमार	बद्री प्रसाद	हमीरपुर	2025
23	64	980690156	राम विलास यादव	रामकेवल यादव	विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0 लखनऊ	2025
24	66	980481598	हरदेव प्रसाद यादव	छबिलाल यादव	फतेहपुर	2025
25	67	030471030	मनोज कुमार	शिवचरन लाल	रायबरेली	2025
26	68	030501300	विजय कुमार	श्री छट्ठू लाल राम	कमिश्नरेट वाराणसी	2025
27	69	040440079	वरूण भानु तिवारी	देवनाथ तिवारी	बाराबंकी	2025
28	70	980670893	जावेद हाशमी	जाहिद हाशमी	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
29	71	980460665	मुकेश सोलंकी	बनवारी सिंह	अलीगढ़	2025
30	72	030460182	सन्तोष कुमार	होरी लाल	अलीगढ़	2025
31	73	030690022	रामचन्द्र सिंह	श्री जयनाथ सिंह	मीरजापुर	2025
32	74	030460137	राहुल सिंह	नैंपाल सिंह	हापुड़	2025
33	75	030450341	धीरेन्द्र कुमार यादव	हरिशंकर यादव	रायबरेली	2025
34	76	030550214	विनीत कुमार राणा	श्री रमेश चन्द	सहारनपुर	2025
35	77	030450497	अनिल सिंह यादव	लाल चन्द्र यादव	39वीं पीएसी मीरजापुर	2025
36	78	040460404	शौकिन्द्र सिह राठी	श्री लक्षमण सिह	सहारनपुर	2025
37	79	040460459	सरताज अली	मो0 इकबाल	बरेली	2025
38	80	040450302	अमित कुमार सिंह	ओम प्रकाश सिंह	अयोध्या	2025
39	81	970500249	अब्दुल खुर्शीद सिद्दीकी	अब्दुल मजीद सिददीकी	उन्नाव	2025
40	82	980590368	महेश कुमार	हरीशंकर सिंह	मैनपुरी	2025
41	83	960550720	संजीव कुमार	श्री लालाराम	बदायूँ	2025

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ सं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
42	84	980560088	राजकुमार प्रजापति	श्याम लाल प्रजापति	सुलतानपुर	2025
43	85	980680357	मुकेश कुमार	श्री ऊदल सिंह	कमिश्नरेट गाजियाबाद	2025
44	86	960730522	इरफान अहमद	सरदार अहमद	रामपुर	2025
45	87	980520299	रन्जीत सिंह	श्री अजब सिंह	बदायूँ	2025

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवा नियमावली–2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरूद्व अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरूद्व विद्यमान नहीं हो।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नही कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेगें।

6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है।

संलग्नकः
स्वघोषणा पत्र का प्रारूप–क

25.9.25

(राजकुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक–लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनी में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें :—

1. पुलिस आयुक्त, आगरा/कानपुर नगर/लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/वाराणसी/गाजियाबाद।
2. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर/बरेली/बलरामपुर/कुशीनगर/बदॉयू/झॉसी/रायबरेली/बस्ती/रामपुर/शाहजहॉपुर/मीरजापुर/फिरोजाबाद/फतेहगढ़/अम्बेडकरनगर/हमीरपुर/फतेहपुर/बाराबंकी/अलीगढ़/हापुड़/अयोध्या/उन्नाव/मैनपुरी/सुलतानपुर।
3. सेनानायक, 39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर।
4. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :—

1. पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 10—09—2025 के संदर्भ में।
2. अपर सचिव—प्रोन्नति, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 01—09—2025 के संदर्भ में।

स्व-घोषणा-पत्र

मैं--(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र--------------------------------निवासी-- थाना----------------------जनपद-------------------------वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम) ---------------------- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) 'मेरे विरुद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।'

2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमवली-1991के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचें अंकित किया जायेगा:-

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण-------------------

(2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ------------------------ में कार्यवाही लंबित है, जिसमें दिनांक--------------------- को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----------------------धारा----------- थाना--------------- जनपद--------------- में लंबित है, जिसमें दिनांक------------------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी------------------------------द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग---------------------- वर्तमान में ----------- स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप-प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।